

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 40/जोधपुर/02-03

यह प्रमाणित किया जाता है कि अवर लेडी ऑफ
पिल्लर एजुकेशन सोसायटी
जोधपुर जिला जोधपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक इकतीस माह मई सन् दो हजार दो को जोधपुर में दिया गया।



रजिस्ट्रार, (संस्थाएं)
जोधपुर